न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 78/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
शैतानसिंह पुत्र किशनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ढावा तहसील मेडता जिला नागौर।		राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सांजू जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री मुरलीधर जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 19.02.20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 13/2018 सरकार बनाम शैतानसिंह में निर्णय दिनांक 23.02.18 के तहत मौजा बुटाटी के खसरा नं. 253 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.09.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 16.09.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार सांजू द्वारा जारी नोटिस दिनांक 21.8.19 की फोटोप्रति, उप तहसीलदार सांजू के प्रकरण सं. 13/18 सरकार बनाम शैतानसिंह के फर्द अहकाम दिनांक 23.1.18 से 23.2.18 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 23.2.18 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 23.1.18 की फोटोप्रति, उप तहसीलदार सांजू को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि तत्कालीन ग्राम बुटाटी तहसील डेगाना के विवादग्रस्त खसरा सं. 253 रकबा 0.0200 हैक्ट. के उप तहसीलदार सांजू के मुकदमा सं. 13/18 के संबंध मे आदेश दिनांक 23.2.18 के विरूद्व उप तहसीलदार सांजू के आदेश पारित किया गया है। उसे निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। उपतहसीलदार सांजू द्वारा प्रार्थी के विरूद्व दिये गये फैसले की जानकारी एवं कानूनी ज्ञान के अभाव मे प्रार्थी द्वारा अपील मियाद अवधि के दौरान प्रस्तुत नही की जा सकी। फैसले के संबंध मे जानकारी प्रार्थी को उप तहसीलदार सांजू के क्रमांक / राजस्व / 2019 / 223–283 दिनांक 21.8.19 प्राप्त होने पर आयी। ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा ग्राम सभा मे खसरा सं. 253 मे स्थित भूमि के एवज मे अन्यत्र भूमि समर्पण एवं उचित जुर्माना राशि का भुगतान करके इस भूमि का आबादी मे संपरिवर्तन का प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 5.5.15 के पारित किये जाने से आश्वस्त था। जिस कारण अन्य कोई कार्यवाही नही की। फिर भी अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी अपील प्रस्तुत करने मे जो देरी हुई है, वह सद्भाविक देरी है, जिसे माफ करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–उप तहसीलदार सांजू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–उक्त वादग्रस्त कब्जा स्थल पर अपीलार्थी का पुरानी कच्ची दुकान आयी हुई है जिस पर

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलार्थी लंबे समय से जीवन निर्वाह कर रहा है। अपीलार्थी का उक्त कच्ची दुकान खसरा नं. 253 मे 10 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चल रहा है, पूर्व मे अपीलार्थी के पिता उक्त वादग्रस्त स्थल पर कच्ची दुकान कर जीवन निर्वाह कर रहे है। तत्पश्चात उक्त भूमि पर कच्ची दुकान का निर्माण करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यो को विधिक ढंग से अवलोकन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–वादग्रस्त भूमि जिस पर अपीलार्थी का अतिक्रमण माना गया है वह भूमि ग्राम बुटाटी की आबादी भूमि के बिल्कुल सीमा पर ही स्थित है। पूर्व मे अपीलार्थी द्वारा यह जमीन ग्राम ठाकुर की पुश्तेनी जमीन समझ का उनसे रोजगार हेतु खरीदी, जिससे अपीलार्थी अपने परिवार का जीवन बसर कर सके। तत्पश्चात इस संबंध मे किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा आज दिन तक कोई आपत्ति नही की गई थी तथा किसी प्रकार की आपत्ति नही किये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त स्थल पर कच्ची दुकान संचालित की जा रही है। यह दुकान अपीलार्थी का एक मात्र जीवन निर्वाह का साधन है।

{2}(IV)–अपीलार्थी ग्राम बुटाटी का मूल निवासी है तथा यहॉ चतुरदास जी महाराज का प्रसिद्व मंदिर है जो हजारो लोगो की आस्था का केन्द्र है। अपीलार्थी द्वारा मंदिर के सामने घास फूस की कच्ची दुकान का निर्माण कर अपना जीवन यापन के लिये एवं श्रद्वालुओ की सेवा के लिये चाय नाश्ता एवं अन्य फुटकर सामान बेच कर गुजर बसर कर रहा है।

{2}(V)–अपीलार्थी एक सामान्य कामगार के समकक्ष व्यक्ति है। जो विश्वास एवं मान्यता के कारण इस भूमि को विवादग्रस्त न समझकर खरीदी एवं अपीलार्थी कानूनी जानकारी भी नही रखता है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को अपने साक्ष्य सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किये बगैर ही एकतरफा मानस कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांट का आराजी भूमि पर पिछले 20 वर्षो से कब्जा है तथा कच्ची दुकान मे रोजमर्रा का सामान बेचकर गुजर बसर कर रहा है। जहां विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। अपीलांट के कब्जासुद जमीन अन्य पक्षकार ग्राम ठाकुर अमरसिंह से स्टाम्प लिखा पढी करके खरीदा है तथा कब्जा स्थल पर संचालित दुकान विश्वविख्यात श्री चतुरदास जी महाराज के मंदिर के सामने जो आने वाले हजारो श्रद्वालुओ की सुविधापूर्ण करने के लिये है तथा आराजी गोचर भूमि जहां दुकान है। उसका प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा किराया रसीद कटवाता आया है। अपीलांट के अलावा भी लगभग 200 परिवारो द्वारा गोचर भूमि पर पक्का निर्माण किया हुआ है। अपीलांट इस कब्जे से जल संग्रहण या आम रास्ते पर कोई प्रभाव नही पड रहा है। न ही आमजन, मंदिर समिति या दर्शनार्थी को किसी प्रकार की परेशानी है। अपीलांट सरकार को उचित शुल्क या गोचर हेतु इसी ग्राम मे अन्यत्र क्षतिपूर्ति के लिये जमीन देने हेतु तैयार है। इसलिये कब्जे को नियमित किया जाना चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा बुटाटी में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके बुटाटी के खसरा नंबर 253 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार की भूमियो का आंवटन/नियमन प्रतिबंधित भी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर